फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–गिरिराज व अन्य

केस संख्या : 07/2018

**वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रतिवादी–हनुमान व अन्य

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 19.07.2018 | | |

## –:निर्णय:–

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उप0।

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 757 के खसरा नंबर 16, 17, 18, 50/9 एवं 61 कुल किता 5 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी एवं खाता संख्या 584 के खसरा नंबर 4088/1, 4088/2, 4089, 4093, 4094, 4104, 4204, 5202 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है। आराजी कब्जेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है, न्यायहित में वादीगण वाद स्वीकार कर पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि वाद में वर्णितानुसार वादी वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे, प्रतिवादी सहमत है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, शपथ पत्र हनुमान पुत्र घासी, सिजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फागी दिनांक 18.06.2018, राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में वादी व प्रतिवादी का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है न्यायहित में वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खाता संख्या 757 के खसरा नंबर 16, 17, 18, 50/9 एवं 61 कुल किता 5 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी एवं खाता संख्या 584 के खसरा नंबर 4088/1, 4088/2, 4089, 4093, 4094, 4104, 4204, 5205 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष अनुतोष खारिज किये जाते है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट: प्रा०पत्र 06R17 CPC स्वीकार होने पर ख०न० 5205 के स्थान पर ख.न. 4205 पढ़ा जावे।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner